(A Govt. of India Undertaking)

सर्किल सस्त्रा पटना साउथ (8298), पटना

चंद्रपुरा पैलेस, दूसरा तल्ला, बैंक रोड, पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना–800001

अचल सम्पत्ति के बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठण तथा प्रतिभूति हित प्रावर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल/अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना।

सर्वसाधारण एवं विशेष रूप से उधारकर्त्ता(ओं) /जमानतदार(रों)/बंधककर्त्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल सम्पत्ति(याँ) जो सरुक्षित लेनदान के पास गिरवी/बंधक है, जिसका प्रतीकात्मक कब्जा **पंजाब नैशनल बैंक** (सुरक्षित लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, नीचे उल्लेखित उधारकर्त्ता(ओं) /जमानतदार(रों)/बंधककर्त्ता(ओं) से **पंजाब नैशनल बैंक** (सुरक्षित लेनदार) की बकाया राशि की वसूली के लिए निम्नलिखित सम्पत्तियों को ''जैसा है जहाँ है'', ''जैसा है जो है'' एवं ''वहाँ जो कुछ भी है'' के आधार पर निम्नलिखित तालिका में दिये तिथि एवं समय पर बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य एवं अग्रधन राशि भी नीचे तालिका में सम्पत्ति के सामने वर्णित है।

सुरक्षित सम्पत्तियों की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम / खाता का नाम / ऋणी का नाम एवं पता जमानतदार का खाता	क) माँग सूचना की तिथि सरफेसी एक्ट की धारा 13 (2) के तहत / ख) बकाया राशि / ग) कब्जा की तिथि सरफेसी एक्ट की धारा 13(4) के तहत / घ) कब्जा की प्रकृति प्रतीकात्मक/शारीरिक/रचनात्मक	अचल सम्पत्तियों का विवरण बंधककर्त्ता/मालिक का नाम सम्पत्ति का बंधक	क) आरक्षित मूल्य (रु० लाख में) / ग) ईएमडी (केवाईसी एवं ईएमडी करने की अंतिम तिथि / घ) बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात इंकम्ब्रेंस का विवरण
1.	**शाखाः जहानाबाद (022800)** **मेसर्स माँ भवानी दाल मिल,** राजा बाजार, अरवल मोड़, स्टेट एनएच 110, जिलाः जहानाबाद, पिनः 804408 **मालिकः संजीत कुमार** पिता कृष्णनंदन साव, ग्रामः इरकी अराजी, जिलाः जहानाबाद, पिनः 804408, **जमानतदार एवं बंधककर्त्ताः** कृष्णनंदन साव, ग्रामः इरकी अराजी, जिलाः जहानाबाद, पिनः 804408 **खाता संख्याः 2083210000028 & 2083300001700**	**A) 28.06.2021** **B) ₹ 51,62,659.50** + ब्याज एवं अन्य खर्च **C) 22.12.2021** **D)** प्रतीकात्मक	**अचल सम्पत्ति का विवरणः** सम्पत्ति– जमीन एवं भवन के व्यवसायिक सम्पत्ति के सभी भाग एवं पार्सल का स्वामित्व **श्री कृष्णनंदन साव** के नाम से है, अवस्थित ग्राम एवं मौजाः दौलतपुर, अरवल रोड, राजा बाजार, थाना सं० 382, खाता सं० 72, प्लॉट सं० 619 एवं 620, तौजी सं० 3, वार्ड सं० 3, थानाः जहानाबाद, **रकवाः 6.5 डेसिमल, चौहद्दीः**– उत्तरः अरवल रोड, दक्षिणः रामचन्द्र कुम्हार, पूर्वः गोला, हरिहर साव, पश्चिमः नामवार हाजा तेतर साव।	**A) ₹ 1,60,85,000/-** **B) ₹ 16,08,500/- (28.03.2022)** **C) ₹ 50,000/-**	**30.03.2022 11.00 AM to 12.00 AM**	**शून्य**

1. बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 और निम्न नियम एवं शर्त्तों के अधीन होगी। नीलामी बिक्री ''ई–नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन'' पोर्टल https://www.mstcecommerce.com से होगी।
2. इच्छुक बोलीदाताओं/खरीददारों से अनुरोध है कि वे अपने मोबाईल नंबर और ई–मेल आईडी का उपयोग करके पोर्टल (http://www.mstcauction.com) पर पंजीकरण करें। इसके आलावा, उनसे अपेक्षित KYC दस्तावेजों अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है। KYC दस्तावेजों को ई–नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जायेगा। (इस प्रक्रिया में दो कार्य दिवस लग सकते हैं) इसके बाद इच्छुक बोलीदाताओं/खरीददारों को पोर्टल में ई–नीलामी की तारीख और समय से पहले (**28.03.2022**) अपने ग्लोबल ईएमडी वैलेट में ऑनलाइन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को स्थानान्तरित करना होगा। KYC दस्तावेजों का पंजीकरण, सत्यापन और वैलेट में ईएमडी के हस्तानान्तरण को नीलामी से पहले अग्रिम रूप से अच्छी तरह से पूरा किया जाना चाहिये।
3. उपरोक्त के रूप में अग्रिम धन जमा (ईएमडी) राशि का भुगतान 3 मोड अर्थात एनईएफटी/नकद/ट्रांसफर (से चालान जनरेट करने के बाद) (https://www.mstcecommerce.com) बोलीदाताओं के ईएमडी वैलेट में ऑनलाइन किया जाएगा। एनईएफटी ट्रांसफर किसी भी सेड्यूल्ड कॉमर्सियल बैंका से द्वारा किया जा सकता है, लेकिन नकद/ट्रांसफर के लिए बोली लगाने वाले को पंजाब नैशनल बैंक शाखा का दौरा करना होगा, ईएमडी का भुगतान किसी अन्य मोड जैसे चेक से स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोलीदाताओं को आवश्यक ईएमडी ऑनलाइन जमा नहीं करने पर ई–नीलामी में भाग लेने अनुमती नहीं दी जाएगी। ईएमडी राशि किसी भी ब्याज को वहन नहीं करेगी।
4. ई–नीलामी के लिए प्लेटफार्म (https://www.mstcecommerce.com) ई–नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसका पंजीकृत कार्यालय 225–सी, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता–700020 में है (संपर्क फोन एवं टॉल फ्री नंबर 079–41072412/411/413 या 1800–103–5342) इच्छुक बोलीदाताओं/खरीददारों द्वारा ई–नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाईट https://www.mstcecommerce.com पर ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना है। यह सेवा प्रदाता पोर्टल पर ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा।
5. बिक्री के सामान्य नियमों और शर्त्तों वाली बिक्री सूचना निम्नलिखित वेबसाईट/वेव पेज पोर्टल पर उपलब्ध/प्रकाशित हैं।
   (1) https://www.ibapi.in, (2) https://eprocure.gov.in/epublish/app, (3) https://www.mstcecommerce.com, (4) www.pnbindia.in
6. ई–नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी ई–नीलामी की बिक्री सूचना, नियम एवं शर्त्तों की प्रक्रिया, ई–नीलामी के परिचालन भाग पर ई–नीलामी से संबंधित मदद मैनुअल e-Bक्रय–IBAPI पोर्टल (https://www.ibapi.in) से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं।
7. इच्छुक बोलीदाताओं/खरीददारों से अनुरोध है कि वे अपने मोबाईल नं० एवं ई–मेल आईडी का उपयोग करके पोर्टल (https://www.mstcauction.com) पर पंजीकरण करें। इसके अलावा, वे अपेक्षित KYC दस्तावेज अपलोड करेंगे। एकबार KYC दस्तावेजों को ई–नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जायेगा। (इसके लिए दो कार्य दिवस लग सकते हैं), इच्छुक बोलीदाताओं/खरीददारों को अपने ग्लोबल ईएमडी वैलेट में ऑनलाइन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि स्थानान्तरित करना होगा। अपने वैलेट में पर्याप्त ईएमडी राशि होने के बाद ही, इच्छुक बोलीदाता ई–नीलामी की तिथि पर बोली लगा सकते हैं।
8. बोली लगाने के समय बोलीदाता के ग्लोबल वैलट में पर्याप्त शेष राशि (>= ईएमडी राशि) होनी चाहिए।
9. ई–नीलामी के दौरान इंटर–से बोली में बोली लगाने वालों को अंतिम बोली के उपर उच्चतर बोली लगाने की अनुमति दी जाएगी और बोली राशि की न्यूनतम वृद्धि बोलीदाताओं की अंतिम उच्च बोली के लिए रु० 50,000/– की होनी चाहिये। बोली लगाने वालों को क्रमिक उच्चतर बोली लगाने के लिए दस मिनट का समय दिया जाएगा और यदि किसी बोलीदाता द्वारा अंतिम उच्चतम बोली के लिए दस मिनट की समाप्ति के बाद किसी भी उच्चतर बोली की पेशकश नहीं की जाती है, तो ई–नीलामी बंद हो जाएगी।
10. यह नीलामी की परिचालन सूचना, बिक्री नियमावली, ई–नीलामी के परिचालन से संबंधित हेल्प मैनूअल नियमों एव शर्त्तों को ठीक से पढ़ने और उन्हे शक्ति से पालन करने की जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी।
    (1) ई–नीलामी प्रक्रिया से पहले या इस दौरान किसी भी कठिनाई होने पर या सहायता हेतु हमारे ई–नीलामी सेवा प्रदाता के अधिकृत प्रतिनिधि (https://www.mstcecommerce.com) से संपर्क किया जा सकता है। जिसका विवरण ई–नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध है।
11. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई–नीलामी को अंतिम रूप देने के बाद, केवल सफल बोलीदाता को हमारे उपरोक्त सेवा प्रदाता द्वारा एसएमएस/ईमेल के माध्यम से सूचित किया जायेगा। (उनके द्वारा सेवा प्रदाता के पास दिये गए पंजीकृत किये गए मोबाईल नं०/ई–मेल पर)।
12. सुरक्षित परिसंपत्ति को आरक्षित मूल्य से नीचे का नहीं बेचा जाएगा।
13. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (पच्चीस प्रतिशत) ईएमडी जमा राशि घटा कर, उसी दिन या अगले कार्य दिवस में जमा करना होगा और शेष 75% बोली राशि का भुगतान बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में नीलामी की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा किया जायेगा। ड्राफ्ट किसी भी अनुसूचित व्यवसायिक बैंक द्वारा ''प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, खाता संख्या **2083213171160** पेयेबल at'' जारी किया जाएगा। निर्धारित समय के भीतर उक्त राशि जमा करने में विफलता के मामले में देय, सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गयी राशि बैंक द्वारा जब्त कर ली जाएगी और प्राधिकृत अधिकारी के पास संपत्ति को नये सिरे से नीलामी/बिक्री करने की स्वतंत्रता होगी और डिफाल्टर बोली लगाने वाले के पास जब्त राशि और संपत्ति पर कोई दावा नहीं होगा।
14. सफल बोलीदाता को बिक्री पर विचार होने के बाद बैंक को भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194–1A के तहत टीडीएस के अधीन होगा एवं सफल बोलीदाता द्वारा बोली राशि के शेष 75% पूर्ण राशि जमा के समय ही टीडीएस देना होगा।
15. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने, यदि बोली स्वीकार नहीं पाया जाता है तो या अस्थगित/रद्द/टालने/बंद करने या किसी भी समय नीलामी की शर्तें को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा।
16. बिक्री प्रमाण पत्र अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण बोली राशि जमा करने पर सफल बोलीदाता के पक्ष में जारी किया जाएगा।
17. संपत्तियों को ''जैसा है, जहाँ है'' एवं ''जो कुछ भी है'' के आधार पर बेचा जा रहा है।
18. अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोच्चत्तम जानकारी के अनुसार कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत कथन या चूक के लिए उत्तदायी नहीं होगा।
19. बोली लगाने से पहले यह बोली लगाने वाले कि जिम्मेदारी होगी की वे परिसंपत्तियों और विर्निदेश के बारे में निरीक्षण करे और स्वयं को संतुष्ट करे। बोली लगाने वाले विवरण के अनुसार बोली लगाने वाले अधिकारी के प्रामर्श से संपत्तियों का निरीक्षण कर सकते हैं।
20. सभी वैधानिक देय/परिचर शुल्क/पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क कर आदि सहित अन्य देय राशि क्रेता को वहन करनी होगी।
21. प्राधिकृत अधिकारी या बैंक किसी भी प्रभार, ग्रहणाधिकार, इंक्रम्ब्रेंस या सरकार या किसी अन्य को देय संपत्तियों (ई–नीलामी) के संबंध में बैंक को ज्ञात नहीं होने के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे संपत्तियों पर सांविधिक भार के बारे में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करें, जिसमें वैधानिक दायित्व, संपत्ति कर का बकाया आदि शामिल है।
22. बोली लगाने वाले को उचित इंटरनेट कनेक्टीभीटी, पावर बैक–अप आदि सुनिश्चित करना होगा। इंटरनेट की विफलता, बिजली की विफलता या तकनीकी कारणों या आकस्मिकताओं के कारण बैंक किसी भी व्यावधान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
23. प्रतिनिधि को नियुक्त करने और स्व–बोली लगाने और नीलाम में भाग लेने के लिए बैंक स्वतंत्र है।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत वैधानिक 30 दिनों की सूचना

विवरण एवं बिक्री की शर्त्तों के लिए, कृप्या निम्न वेबसाईट देखें: https://www.ibapi.in, https://eprocure.gov.in/epublish/app, https://www.mstcecommerce.com, www.pnbindia.in

दिनांक : 25.02.2022
स्थान : पटना

नोट : विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

(प्राधिकृत अधिकारी)
पंजाब नैशनल बैंक